विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
9	(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में मजदूरों की मूल मजदूरी का निर्धारण किया जाता है?	जी हॉ।
	(ख) यदि हॉ, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के लिए अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के मजदूरों की मूल मजदूरी की दरें क्या निर्धारित की गई है?	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर 2022 के लिये अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के मजदूरों की मूल मजदूरी की दरों का विवरण निम्नवत् है :-
	(ग) क्या जनहित में मूल मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठायेगें?	जी हॉ।
	(घ) यदि हॉ, तो क्या उक्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है। श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड के पुनगर्ठन सम्बन्धी प्रस्ताव के आधार पर बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बोर्ड के गठन के उपरान्त ही मूल मजदूरी निर्धारित की जा सकेगी।
	(ड) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)
1	अकुशल	5750
2	अर्द्धकुशल	6325
3	कुशल	7085

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।